

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद महोबा के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० कानपुर द्वारा महोबा-चरखरी मार्ग (एम०डी०आर०-15बी) के किमी० संख्या-15 (चैनेज 14.480 से 14.520) के मध्य बांयी पटरी पर खसरा संख्या-568 व 577 ग्राम जाईनगंज पर विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.1972 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/155008/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-285/81-2-2022-800(292)/2022 दिनांक 22 अगस्त 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 18-08-2022 18:36:35

Reason: Approved)

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार।